

सेवा में:- होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक बागपत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ।

प्रेषक :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:- एस0एम0सी0-सरा0कार्य/2023

दिनांक: मार्च 15, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

थाना मंसूरपुर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 02 लुटेरे बदमाश गिरफ्तार (01 बदमाश घायल)। कब्जे से लूटी गयी 02 मोटरसाइकिल, लूट में प्रयुक्त 01 अन्य मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खतौली के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मंसूरपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.03.2023 को थाना मंसूरपुर पर नियुक्त उ0नि0 महेन्द्र कुमार मय उ0नि0 श्री राकेश कुमार गौतम मय हमराह है0कां0 553 अनित कुमार मय कां0 166 रविन्द्र सिंह मय कां0 2258 मोहित कान्त मय जीप सरकारी मय कां0 चालक भारत भूषण के थाना मंसूरपुर से रवाना होकर वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, गस्त व चौकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामूर होकर जब पुलिस टीम दूधाहेड़ी मंसूरपुर रोड़ पर गस्त कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक मोटर साईकिल पर सवारी तीन व्यक्ति ग्राम जौहरा के जंगल में रेकी करते घूम रहे हैं। जिनके पास अस्लाह भी हैं। जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी द्वारा दूधाहेड़ी सड़क से ग्राम जौहरा की सड़क पर सरकारी गाड़ी को खड़ी करके रेकी करने वाले व्यक्तियों की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद ग्राम जौहरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल आती हुई दिखायी दी। जैसे ही मोटरसाईकिल नजदीक आयी तो पुलिस पार्टी द्वारा टार्च की रोशनी डालते हुए रुकने का इशारा किया। मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर झाँक दिया जिससे पुलिस टीम सिखलाये गये तरीकों से बाल बाल बची तथा बदमाशों को पुनः फायर करने का मौका दिये बिना आत्म समर्पण की चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी। बदमाशों की मोटर साईकिल महावीर के आम के पेड़ों के पास गिर गयी तथा एक बदमाश नीचे गिर गया तथा दो अन्य भागने का प्रयास करने लगे जिनमें से 01 बदमाश को है0कां0 553 अनित कुमार द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा तीसरा बदमाश रात्रि का समय होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर महावीर के ईख के खेत में भाग गया जिसका पीछा कां0 166 रविन्द्र सिंह द्वारा किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस पार्टी द्वारा नीचे गिरे बदमाश के नजदीक जाकर देखा वह घायल अवस्था में पड़ा है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार देकर पकड़े गये अभियुक्तगण से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम अजय कुमार पुत्र सुभाष चन्द निवासी कुर्डी, थाना छपरौली, जनपद बागपत बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम वंश उर्फ विराट पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम नंगली साधारण, थाना दौराला, जनपद मेरठ बताया तथा भागे हुए साथी का नाम राजा उर्फ अंकुर पुत्र जितेन्द्र निवासी गोयला थाना शाहपुर, जनपद मु0नगर बताया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी खतौली में भर्ती कराया गया है।

पूछताछ का विवरण:- प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया हम तीनों लोग आज लूट करने लिए आये थे जो कि अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आपने हमें पकड़ लिया। अभियुक्तगण बरामद स्पलैण्डर प्लस मोटरसाइकिल नं0 डीएल 8 एससीएम 7917 के बारे में जानकारी की गयी तो बताया की उनके द्वारा यह मोटरसाइकिल बड़ौत से चोरी की गयी थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 03.03.2023 को थाना क्षेत्र रतनपुरी से 01 मोटरसाइकिल तथा दिनांक 05.03.2023 को थाना क्षेत्र मंसूरपुर से 01 मोटरसाइकिल व मोबाईल लूट की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्तगण की निशादेही से उक्त दोनो मोटरसाइकिल महावीर के ईख के खेत से बरामद की गयी।

अभियुक्तगण के कब्जे एवं निशादेही से 01 मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्ट डीएल 8 एसबीसी 3249 (मु0अ0सं0-60/23 धारा-392 भादवि थाना मंसूरपुर से सम्बन्धित), 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर यूपी 12 बीके 3413 (मु0अ0सं0-40/23 धारा-392 भादवि थाना रतनपुरी से सम्बन्धित), 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर डीएल 8 एससीएम 7917 (लूट करने में प्रयुक्त) तथा 01 तमंचा मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पर मु0अ0सं0 69/23 धारा 307/414/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री योगेश तेवतिया द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम/पता—

1. अजय पुत्र सुभाष निवासी करडी थाना छपरौली जनपद बागपत।(घायल)
2. वंश छोकर पुत्र ओमवीर निवासी नगली साधारण थाना दौराला जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण—

- 01 मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्ट डीएल 8 एसबीसी 3249 (मु0अ0सं0-60/23 धारा-392 भादवि थाना मंसूरपुर से सम्बन्धित)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर यूपी 12 बीके 3413 (मु0अ0सं0-40/23 धारा-392 भादवि थाना रतनपुरी से सम्बन्धित)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर (लूट करने में प्रयुक्त)
- 01 तमंचा मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय पुत्र सुभाष उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:—

1. मु0अ0सं0 220/21 धारा 392,411 भादवि थाना छपरौली, बागपत।
2. मु0अ0सं0 222/21 धारा 411,414 भादवि थाना छपरौली, बागपत।
3. मु0अ0सं0 224/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना छपरौली, बागपत।
4. मु0अ0सं0 60/23 धारा 392 भादवि थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0सं0 40/23 धारा 392 भादवि थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:—

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र गौतम थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।
3. है0का0 553 अनित चौधरी थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।
4. का0 166 रविन्द्र सिंह थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।
5. का0 2258 मोहित थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर।

नोट:— गिरफ्तार अभियुक्तगण शांतिर किस्म के लुटेरे प्रवृत्ति के अपराधी हैं तथा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/23 धारा 392 भादवि व थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/23 धारा 392 भादवि में प्रकाश में आए हैं। अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।